From,

Alka Srivastava,
District Judge,
Rampur.

To,

The Registrar General,
Hon'ble High Court of Judicature at
Allahabad.

No. 318/E Admn. /Rampur Dated; July 07, 2020

Subject- **Regarding closing of District Court, Rampur till further order in view of the Guidelines, issued by the Hon'ble Court.**

Sir,

I have the honour to submit that consultation with the District Administration and considering its reports vide letter no. 1887 dated 07-7-2020, that Sri Saran Lal Clerk, Collecteriate, Rampur , Sri Ramphool, Junior Assistant , Sri Kishori Lal , Peon , District Court Rampur and 02 cleaning staff in the collectorate, has been found positive CORONA Virus Contagion and the court premises is adjacent to the Collecteriate premises in a similar campus and the entire campus has been closed till further order , the entire Campus including District & Sessions Court, Rampur has been declared Containment Zone, as the District & Sessions Court Campus is situated under radius of 500 mtrs., and further radius 250 mtrs declared as buffer zone, in compliance of the mandate of the Hon'ble Court, issued in para No. 15 of its letter No. 1117/ LXXXVII-CPC/eCourt/Allahabad, dated 03-6-2020 regarding mechanism/modalities for opening of courts, the District Court, Rampur was ordered to have been closed till further order.

Thus, In compliance of the mandate of the Hon'ble Court, issued in para No. 15 of its letter No. 1117/ LXXXVII-CPC/eCourt/ Allahabad, dated 03-6-2020 regarding mechanism/modalities for opening of courts, the District Court, Rampur is ordered to be closed till further order.

It is, therefore, requested that the same may kindly be placed before the Hon'ble Court for kind perusal.

With profound regards.

Yours sincerely,

Encl. As above

(Alka Srivastava)
District Judge,
o/c Rampur.

318(i)/E 7-7-2020 Copy to ;1- Private Secretary to the Hon'ble Administrative Judge, (Sessions Division, Rampur), Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad, to place the same before his Lordship for kind perusal.

318(ii) /E Dt 7-7-2020 2-Joint Registrar (J)(CPC), Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad,

318(iii) /E Dt " 3-Chairman, J.T.R.I. Lucknow

(Alka Srivastava)
District Judge,
o/c Rampur.

आदेश

श्री नवीन कुमार शर्मा, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी कलेक्ट्रेट रामपुर दिनांक 02.07.2020 को जिला चिकित्सालय रामपुर में चिकित्सीय परीक्षण के आधार पर कोरोना पॉजिटीव पाये गये थे जिसके क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 1748/एस0टी0 दिनांक 03.07.2020 द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, जिलाधिकारी कार्यालय एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय 24 घण्टे लिए बन्द किये गये थे तथा कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने अथवा बचाव हेतु कलेक्ट्रेट परिसर रामपुर के 250 मीटर रेडियस क्षेत्र को (CONTAINMENT ZONE) घोषित किया गया था।

इसके अतिरिक्त दिनांक 06.07.2020 को श्री सरन लाल जो कलेक्ट्रेट रामपुर में न्याय सहायक के पद पर कार्यरत हैं तथा श्री रामफूल, (कनिष्ठ लिपिक) धर्मेन्द्र पुत्र संतराम, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं राजेश कुमार पुत्र प्रभु सिंह, सफाई कर्मचारी जो जिलाधिकारी कैम्प कार्यालय में कार्यरत है एवं उनका कलेक्ट्रेट परिसर में आवागमन रहता है, कोरोना पॉजिटीव पाये गये थे जिसके दृष्टिगत उक्त परिसर के समस्त कार्यालयों को अगले 48 घण्टों तक बन्द रखते हुये वहां कार्यरत सभी कर्मचारियों की कोविड–19 की सेम्पलिंग कराने से लेकर उनके रिजल्ट प्राप्त होने तक इन कार्यालयों में केवल आवश्यक कार्य एवं सेवाएं स्वास्थ्य विभाग के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुये कार्य सम्पादित करने हेतु अवगत कराया गया था।

दिनांक 06.07.2020 को श्री किशोरी लाल पुत्र कन्हई लाल, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर तैनात है, कोरोना पॉजिटीव पाया गया है।

मुख्य चिकित्साधिकारी रामपुर के पत्रांकः मु0चि0अ0/कोविड–19/20/4102 दिनांक 06.07.2020 द्वारा अवगत कराया गया है कि कलेक्ट्रेट परिसर में जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, जिलाधिकारी कार्यालय एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उक्त कर्मियों का शासकीय कार्य से निरन्तर आवागमन रहता है। साथ ही कलेक्ट्रेट परिसर में आवासीय कालोनी भी स्थित है, जहां सरकारी कर्मचारी निवास करते हैं जिस कारण कलेक्ट्रेट परिसर में जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, जिलाधिकारी कार्यालय एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत अतिसंवेदनशील है।

साथ ही मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन के शासानादेष सं0 1324/सेक–पांच–5–2020 दिनांक 23.06.2020 में वर्णित निर्देशानुसार किसी क्षेत्र में 01 से अधिक केस (कलस्टर) के लिए 500 मीटर रेडिय के क्षेत्र को कन्टेनमेंट ज़ोन बनाया जाएगा, जिसके उपरान्त 250 मी0 का क्षेत्र बफर ज़ोन होगा। कन्टेनमेंट ज़ोन/हॉटस्पॉट अन्तिम धनात्मक रोगी के सैम्पल लेने की तिथि से 14 दिन तक सकिय रहेगा।

कलेक्ट्रेट परिसर में जनसामान्य का अत्यधिक आवागमन रहता है, कोरोना संवेदनशीलता के दृष्टिगत कलेक्ट्रेट परिसर में जनसामान्य के आवागमन को पूर्णतया रोकना तथा कलेक्ट्रेट परिसर में स्थापित कार्योलयों में केवल अतिआवश्यक/आकस्मिक कार्य सम्पादित करने वाले व्यक्तियों को ही आने–जाने की अनुमति देना उचित होगा। अतः शासनादेशों अनुसार तथा कलेक्ट्रेट परिसर की संवेदनशीलता के दृष्टिगत आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, जिलाधिकारी कार्यालय एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जो कि एक साथ है, वहां कोरोना को लेकर अति संवेदनशीलता बनी हुई है। यहां कार्यरत कर्मचारियों की कोविड सैपलिंग की जा रही है जो कि अभी तक पूर्ण नहीं हुई है एवं लिये गये सैंपल के रिजल्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुये है। उल्लेखनीय है कि इन परिसरों में भारी मात्रा में लोगों का आवागमन रहता है एवं इन परिसरों मं आवासीय कालोनी भी बनी है जहां सरकारी कर्मचारी मय परिवार निवास करते हैं। अतः जब तक समस्त कर्मचारियों के लिए गये सैंपल के रिजल्ट प्राप्त होने तक इन

कार्यालयों को सामान्य रूप से संचालन करना उचित नहीं होगा। ऐसा परामर्श मुख्य चिकित्साधिकारी रामपुर द्वारा दिया गया है।

अतः जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, जिलाधिकारी कार्यालय परिसर एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में स्थापित समस्त कार्यालयों में आज की भांति दिनांक 08.07.2020 को भी इन कार्यालयों में केवल आवश्यक कार्य एवं सेवाएं स्वास्थ्य विभाग के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुये सम्पादित किया जाए एवं उक्त परिसर में आम जनमानस को आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेगा।

इसके अतिरिक्त मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या 1324/सेक–पांच–5–2020 चिकित्सा अनुभाग–5 दिनांक 23.06.2020 के अनुपालन में कलेक्ट्रेट रामपुर में एक से अधिक केस होने के कारण कलेक्ट्रेट रामपुर के 500 मीटर के रेडियस के क्षेत्र को कंटेनमंट ज़ोन व उसके उपरान्त 250 मीटर रेडियस के क्षेत्र को बफर ज़ोन घोषित किया जाता है।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो।

(प्रवीण वर्मा)
(आई0ए0एस0)
ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी
सदर, रामपुर।

कार्यालय ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी सदर, रामपुर।

पत्रांक 1887/एस0टी0 दिनांकः जुलाई, 07 2020

प्रतिलिपि–

1. जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामपुर महोदय को आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
2. जिलाधिकारी महोदय रामपुर को सादर अवलोकनार्थ।
3. पुलिस अधीक्षक महोदय रामपुर को सादर अवलोकनार्थ।
4. मुख्य विकास अधिकारी महोदय रामपुर को सादर सूचनार्थ।
5. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/(प्रशासन) महोदय रामपुर को सादर सूचनार्थ।
6. मुख्य चिकित्साधिकारी रामपुर को इस आशय के साथ कि सैंपलिंग की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कराते हुये रिजल्ट से तत्काल अवगत करायें।
7. तहसीलदार सदर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. प्रभारी निरीक्षक सिविल लाइंस को इस निर्देश के साथ कि उक्त स्थल पर बैरिकेडिंग कराते हुये नियामनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें
9. अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद रामपुर को इस निर्देश के साथ कि उक्त स्थल पर कोविड–19 के बचाव एवं रोकथाम हेतु सैनेटाइजेशन का कार्य कराना सुनिश्चित करें।

ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी
सदर, रामपुर।

Scanned with CamScanner